कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (संरक्षण - कक्ष), मध्यप्रदेश

सतपुड़ा भवन, प्रथम तल भोपाल

क्रमांक/एफ-08/2007/10-10/3343 /भोपाल :दिनांक 4/10/07

प्रति,

समस्त वन संरक्षक

(क्षेत्रीय / वन्यप्राणी),

मध्यप्रदेश ।

विषय:- वन भूमि पर अतिक्रमण की रोकथाम बाबत ।

--

उपरोक्त विषय में इस कार्यालय के पत्र क्रमांक/एफ-08/2007/10-10/2860 दिनांक 9-8-2007 एवं मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग का पत्र क्रमांक एफ-25/83/10-3/04 दिनांक 6-8-2007 का अवलोकन करें, जिसमें वन भूमि पर अतिक्रमण की घटनाओं को विफल करने के लिये स्पष्ट निर्देश प्रसारित किये गये हैं । साथ ही वन भूमि पर अतिक्रमण करने के लिये स्थानीय ग्रामीणों को उकसाने वाले तत्वों के विरूद्ध कार्यवाही करने के लिये जिला प्रशासन एवं पुलिस विभाग के साथ समन्वय स्थापित कर प्रभावी कार्यवाही करने की भी हिदायत दी गई है ।

विभिन्न क्षेत्रों में अभी भी वन भूमि पर अतिक्रमण की दुर्घटनाओं को देखते हुये यह आभास मिलता है कि निर्देशों को पर्याप्त गम्भीरता से नहीं लिया जा रहा है । यह स्थिति चिन्तनीय है ।

इस पत्र के माध्यम से पुनः निर्देशित किया जाता है कि वन भूमि पर अतिक्रमण एवं वन सुरक्षा की अन्य दुर्घटनाओं को देखते हुये जारी निर्देशों के अनुसार क्षेत्रीय स्तर पर प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित की जावे । रेंज, उप वन मण्डल स्तर पर माह में दो बार तथा वन मण्डल एवं वृत्त स्तर पर माह में कम से कम एक वार समीक्षा की जावे तथा सुनिश्चित किया जावे कि निर्देशों की सभी को स्पष्ट जानकारी है, निर्देशों के अनुसार प्रत्येक अधिकारी अपने कार्य क्षेत्र में कार्य सम्पादन कर रहे हैं तथा उसी के अनुसार स्थिति का फिड बैक ऊपरी स्तर के नियंत्रक अधिकारी को दिया जा रहा है । विभागाध्यक्ष कार्यालय के पत्र दिनांक 9-8-2007 द्वारा सम्पूर्ण स्थिति की प्रगति से प्रति सप्ताह अवगत कराने के निर्देश दिये गये थे, परन्तु अभी तक विभिन्न दुर्घटनाओं की विशिष्ट जानकारी को छोड़कर निर्देशों के अनुसार किये गये कार्यो एवं प्रगति की समीक्षात्मक रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है । अपेक्षा की जाती है कि यह प्रतिवेदन प्रति सप्ताह प्रेषित किया जावे ।

29/9/07

(व्ही0 आर0 खरे)

प्रधान मुख्य वन संरक्षक

मध्यप्रदेश भोपाल